कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद।
विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2025–2026 हेतु जनपद न्यायालय परिसर, फिरोजाबाद में स्थित निम्नलिखित ठेकों की नीलामी दिनांक 10–03–2025 को सम्पन्न हुयी थी। निम्न ठेकों की नीलामी में किसी बोलीदार द्वारा बोली लगाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करने के कारण निम्नलिखित ठेका नहीं उठ सके। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 10.03.2025 के द्वारा निम्न ठेको को नीलामी के माध्यम से उठाये जाने हेतु पुनः दिनांक 21–03–2025 को अपरान्ह 1:00 बजे तक प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जायेंगे तथा उसी दिन समय सायं 04:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य केन्द्रीय सभागार में ठेकों की सार्वजनिक नीलामी की जायेगी।

1–ठेका – कैंटीन (चाय, नमकीन, नाश्ता, फ्रूट, जूस एवं पानी आदि) (बतौर अग्रिम धनराशि 1,00,000/–रू0)
2–ठेका – मजमा। (बतौर अग्रिम धनराशि 5,000/–रू0)
3–ठेका – पैन व लेखन सामग्री। (बतौर अग्रिम धनराशि 3,000/–रू0)

नीलामी हेतु समय से पूर्व बोली बोलने से पूर्व बोलीदाताओ को ठेके की बतौर अग्रिम धरोहर धनराशि नजारत में जमा करनी होगी, जो बोली स्वीकार होने पर ठेके की राशि में समायोजित हो जायेगी अन्यथा अगले कार्य दिवस को वापस कर दी जायेगी। शेष नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत अनुभाग, के नोटिस बोर्ड पर या नजारत अनुभाग जजी, फिरोजाबाद से प्राप्त की जा सकती हैं।

(मिनाक्षी सिन्हा)
सदस्य, ठेका नीलामी समिति/
सी0 जे0 एम0,
फिरोजाबाद।

(मुमताज अली)
सदस्य, ठेका नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम,
फिरोजाबाद।

(सुनील कुमार सिंह–I)
अध्यक्ष, ठेका नीलामी समिति/
प्रथम अपर जिला जज,
फिरोजाबाद।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को प्रकाशनार्थ, सूचना पटल पर चस्पा करने तथा वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Received
R.J.S.
11/3/25

1–माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
✓2–जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु
3–स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
4–जनपद के समस्त मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
  1. कार्यालय जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
  2. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद।
  3. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
  4. कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, फिरोजाबाद।
  5. कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद।
6. रेलवेस्टेशन, बस स्टैण्ड व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञप्ति चस्पा कराने हेतु।